राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

विविध प्रार्थना पत्र संख्या –13/2017/झुन्झु.

मै0 न्यू जोधपुर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कम्पनी
खन्ना मार्केट तीस हजारी, दिल्ली ......प्रार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यक कर अधिकारी,
वृत प्रथम, प्रतिकरापवंचन झुंझुनु। .....अप्रार्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री विक्रम गोगरा, अधिकृत अभिभाषक ....प्रार्थी की ओर से

श्री रामकरण सिंह, उपराजकीय अभिभाषक
श्री महेश प्रकाश मीणा ,सवाकअ
प्रतिकरापंवचन प्रथम झुझुनु .... अप्रार्थी विभाग की ओर से

निर्णय

आदेश दिनांक : 03/05/2017

1. प्रार्थी द्वारा यह विविध प्रार्थना पत्र सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रथम, प्रतिकरापंवचन झुंझुनु (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा जारी नोटिस दिनांक 28/04/2017 से व्यथित होकर प्रस्तुत किया है। अपील संख्या 532/2017/झुंझुनु में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18/04/2017 में पैरा संख्या 5 में निम्न आदेश पारित किये गये थे–

> "5. अतः प्रकरण के तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् न्याय हित में उपायुक्त (प्रशासन) को निर्देश दिये जाते है कि वह दिनांक 16.01.2017 के द्वारा सत्यापन हेतु गठित टीम में श्रीमती बुडानिया स.वा.क.अ झुंझुनु, श्रीचंद माहीच, क.वा.क.अ झुंझुनु व श्रीपाल सिंह क.वा.क.अ एईं झुझुनु को नियुक्त किया जावे। वक्त जांच वाहन में आइटम नम्बर 26 में (रेडीमेड आइटम) व 42 में (रबड गेंद) उपलब्ध थे या नहीं थे। उक्त आइटमों का गठित टीम द्वारा सही सत्यापन किया जावे। इस बिन्दु पर प्रकरण पुनः जांच हेतु सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है। अतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को मूल्यांकन सीमा तक अपास्त किया जाकर, सत्यापन रिर्पोट आने के पश्चात् पुनः मूल्यांकन हेतु एंव आईटम नम्बर 26 (रेडीमेड आईटम) व 42 (रबड गेंद) की जांच बाबत सशक्त अधिकारी को पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है।"

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में जारी निर्देशों को अपीलाधीन आदेश में विवादित बिंदु माल के मूल्यांकन पर सम्पूर्ण माल के मूल्यांकन हेतु आदेश पारित किये गये थे।

प्रकरण में संपूर्ण माल के पुनः मूल्यांकन हेतु सहमति प्रदान की गई है, अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निवेदन पर विचार करते हुए न्यायहित में पुनः एक अवसर प्रदान करते हुए सशक्त अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे पुनः कमेटी सदस्यों द्वारा संर्पूण माल का पुनः मूल्यांकन वर्तमान बाजार भाव से प्रार्थी की उपस्थिति में व पंजीकृत व्यवहारियों से दरें प्राप्त कर प्रकरण का शीध्र निस्तारण किया जावे।

5. फलतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र का उपर्युक्तानुसार निर्देशों के साथ निस्तारण किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष